न्यायालय समक्ष : सदस्य मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म. प्र.

निगरानी 91-III-15

श्री शारदा प्रसाद मिश्रा एड. द्वारा पेश। 30.12.14

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

859
30.12.14

1- श्री रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी तनय श्री कालूराम द्विवेदी निवासी ग्राम चचाई तहसील सिरमौर जिला रीवा म. प्र. -------आवेदक/ अपी०

बनाम.

क्रमांक 4221
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आजा- आदर्श जनता उ. मा. वि. चचाई लोक शिक्षा संस्थान सिरमौर जिला रीवा म. प्र. - द्वारा अध्यक्ष देवेन्द्र शास्त्री बासुदेव कुटुम्बकम रानीगंज रीवा
दिनांक ... को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर म. प्र.

---------- अनावेदकगण/ रेस्पा.गण

2:- म० प्र० राज्य शासन

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म. प्र. प्रकरण क्रमांक 1213 / अपी. /12-13 आदेश दिनांक 3-11-14

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा.सं. 1959 ई.

---

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

... यह स्वीकृत तथ्य है, कि अना. क्र. 1 परीक्षण न्यायालय

XXXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-91/III/15 ........ जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | रघुनाथ प्रसाद — आदर्श उ०मा०वि० अध्यक्ष देवेन्द्र — कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 29-10-15 | प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा किन्तु उन पर विचार किया जावेगा। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेशों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि तह० द्वारा वर्ष 09-10 एवं 2011-12 के अभिलेख के आधार पर संहिता की धारा 115-116 के तहत खसरा क्रमांक-1994/2 पर अध्यक्ष जनता उ०मा०वि० खाम्ह चचाई के स्थान पर रघुनाथ प्रसाद का नाम दर्ज करने के आदेश दिए गये, जिसके विरुद्ध S.D.O. के समक्ष प्रस्तुत अपील में नायब तह० के आदेश दिनांक 26-5-12 को संहिता की धारा 5 म्याद अधि० के आवेदन पर सुनवाई में अपील S.D.O. के आदेश दि० 23-3-13 से स्वीकार की जाकर धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनु० अधि० द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 16-7-13 को पारित किया गया जैसा कि अपर आयुक्त के आदेश में उल्लेख है के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त द्वारा अपने | |

[कृ. प. उ.

R. 91/III/15 रीवा

| स्थान तथा दिनांक | रघुनाथ प्रसाद कार्यवाही तथा आदेश क्रमशः | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | प्र०क्र० [redacted] 20/3-6/अपील/12-13 मे पारित आदेश दिनांक 3-11-14 से इस आधार पर नायब तह० सेमरिया का आदेश दिनांक 26-5-12 एवं अनु० अधि० का आदेश दिनांक 16-7-13 को निरस्त किया गया कि "पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 24-2-12 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का भूमि स्वामी जनता उ० मा० वि० के नाम दर्ज है तथा आवेदक रघुनाथ प्रसाद का कब्जा [redacted] है। आवेदक का कब्जा अभिलेख मे अंकित नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर कि अनावेदक द्वारा अपील की अनुमति का आवेदन पेश नहीं किया तथा अधी० न्याया० मे पक्षकार नहीं था अपील अस्वीकार कर नायब तह० के आदेश को स्थिर रखा। S.D.O द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि अपीलार्थी (इस प्रकरण मे अना०) वादग्रस्त भूमि का भूमि स्वामी था। | |
| | उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 3-11-14 से नायब तह० का आदेश दिनांक 26-5-12 एवं S.D.O. का आदेश दिनांक 16-7-13 निरस्त करने मे कोई त्रुटि नहीं की गई है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण मे ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्र० समाप्त। | |
| | (सदस्य) | |

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.